मुख्यमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान

का

स्वतंत्रता दिवस संदेश

भोपाल 15 अगस्त, 2020

प्यारे भाइयों-बहनों एवं बच्चों,

भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। आज शौर्य स्मारक में मुझे भारत-माता की दिव्य एवं भव्य प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत-माता, जिसकी तरफ कोई आँख उठाकर भी देख ले तो हर भारतवासी का खून खौलता है, जिसकी एक पुकार पर देश का बच्चा-बच्चा बलिदान की भाषा बोलता है, जिसके गौरव की रक्षा के लिए तन-मन-धन-जीवन सब अर्पण है, ऐसी करोड़ों भारतीयों की आस्था केन्द्र माँ-भारती के चरणों में कोटि-कोटि वंदन है। मैंने आज भारत-माता से प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद माँगा है। आज मैंने भारत-माता के समक्ष आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण का संकल्प लिया है। आज स्वतंत्रता-दिवस पर भारत-माता की स्तुति में हर्षित मन से "वन्दे-मातरम्" का जय-घोष करते हुए हम सब उनके चरणों में अगाध श्रद्धा के साथ वंदन करते हैं।

ये विश्व-गुरु कहलाने वाला गौरवशाली भारत है। ये सोने की चिड़िया कहलाने वाला वैभवशाली भारत है। ये संसार को सत्य-अहिंसा का मार्ग दिखाने वाला पुण्यशाली भारत है। आज भारत-भूमि में आजादी की जिस खुली हवा में हम साँस ले रहे हैं, उसे प्राप्त करने के लिए अनेक वीरों ने अपनी साँसें दाँव पर लगाईं। स्वतंत्रता के जिस उजाले में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसे पाने के लिए अनेक महापुरुषों ने अपना जीवन होम किया है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ललाट पर स्वाधीनता का तिलक लगाने के लिए अनेक सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है।

मैं आजादी के वीर सिपाहियों को शत-शत नमन करता हूँ। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूँ। उनके त्याग और बलिदान की गाथाएँ हम सबके लिए देशभक्ति की प्रेरणा का अविरल स्रोत हैं। विगत दिनों हमारी सीमा पर अतिक्रमण करने का दुस्साहस करने वालों को वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की परवाह न कर मुँह-तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय में मध्यप्रदेश के रीवा जिले के फरेंदा गाँव के सैनिक श्री दीपक सिंह ने भी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया।

मैं प्रदेशवासियों की ओर से शहीद स्वर्गीय श्री दीपक सिंह के प्रति सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राज्य सरकार देश के इन वीर सपूतों के परिवारों के साथ है और सरकार की ओर से प्रत्येक शहीद के परिवार को एक करोड़ रुपये की सम्मान निधि, एक मकान अथवा प्लॉट एवं परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दिए जाने का फैसला लिया गया है। आज स्वातंत्र्य-पर्व पर मैं देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले सभी शहीदों को कोटि-कोटि नमन करता हूँ।

कोरोना महामारी, सदी की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में विश्व के सामने आई है। जहाँ एक ओर विकास के प्रतिमान को छूने वाले दुनिया के अनेक देशों को कोविड-19 के परिणामस्वरूप बहुमूल्य मानव संपदा तथा अर्थ-व्यवस्था में अप्रत्याशित हानि उठानी पड़ी, वहीं दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्रीजी के कुशल नेतृत्व में सही समय पर लिए गए सुविचारित निर्णयों के परिणामस्वरूप भारत ने कोरोना संक्रमण से बचाव की दिशा में प्रभावी कार्य किया। माननीय प्रधानमंत्रीजी, मेन ऑफ़ आइडियाज हैं। कठिन चुनौती भरे समय को अवसर के रूप में लेते हुए उन्होंने आत्म-निर्भर भारत के निर्माण का आव्हान किया।

जब 23 मार्च, 2020 को मध्यप्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ तो कोविड-19 की चुनौती मुँह बाएँ खड़ी थी। सरकार से एक ही अपेक्षा थी-ऐसी युक्ति करें कि कोरोना से प्रदेश को मुक्ति मिले। इसीलिए हमने बिना एक भी क्षण गँवाए युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ कर दिया। कोविड की आपदा से निपटने के लिए सरकार ने समाज के सहयोग से आई.आई.टी.टी. अर्थात् ''आईडेंटीफाई, आयसोलेट, टेस्ट एण्ड ट्रीट'' की रणनीति बनाकर उस पर अमल किया। जहाँ एक तरफ लॉकडाउन के दौरान अत्यावश्यक वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गयी, वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा सामग्री एवं अन्य आवश्यक उपकरण जैसे—दवाएँ, मास्क, ग्लब्स, पीपीई किट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटीलेटर्स, टेस्टिंग लेबोरेटरी और टेस्टिंग किट्स आदि की पर्याप्त उपलब्धता रखी गयी ताकि मरीजों के उपचार में किसी प्रकार की कमी न रहे। सरकार के प्रोत्साहन से कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए आवश्यक कई सामग्रियों का उत्पादन मध्यप्रदेश में ही प्रारंभ हुआ। यह आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था।

भारत की चिकित्सा परम्परा रोग की रोकथाम पर बल देती है। इसी विचार एवं विश्वास से प्रेरणा लेकर हमने रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ''जीवन-अमृत'' योजना आरंभ की। इसके अंतर्गत 3 करोड़ 80 लाख से भी अधिक व्यक्तियों को आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी जीवन-अमृत औषधियाँ तथा रोग-प्रतिरोधक काढ़ा नि:शुल्क वितरित किया जा चुका है।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई, 2020 के मध्य चलाये गए ''किल-कोरोना अभियान'' में घर-घर जाकर शत-प्रतिशत परिवारों का सर्वे किया गया। 1 अगस्त से प्रारंभ अभियान के दूसरे चरण में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाने की अनिवार्यता के संबंध में जन-जागरूकता के विस्तार का काम किया। किल-कोरोना अभियान, संक्रमण की चेन को तोड़ने में सहायक सिद्ध हुआ है। आज से हम ''सहयोग से सुरक्षा'' अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका मूल मंत्र 5 शब्द हैं—**प्रमोट**—अर्थात् सुरक्षा के उपायों को बढ़ावा देना, **परपेच्यूएट**—अर्थात् परिवर्तित व्यवहार को स्थायी बनाना, **प्रोपोगेट**—अर्थात् गलत एवं भ्रामक जानकारियों का खण्डन करना, **पार्टिसिपेट**—अर्थात् कोविड की रोकथाम में जन-सहयोग प्राप्त करना एवं **प्रोटेक्ट**—अर्थात् कोरोना संक्रमित को किसी भी भेदभाव से बचाना।

मैं प्रदेश की जनता से आव्हान करता हूँ कि यदि हमें कोरोना की महामारी से आजादी पाना है तो जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क अवश्य लगायें। आपस में दो गज यानी 6 फीट की दूरी रखें, नियमित अंतराल पर अपने हाथ साबुन से धोते रहें, योग-प्राणायाम-व्यायाम-काढ़ा सेवन आदि के माध्यम से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ायें।

राज्य सरकार भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा तथा राहत एवं पुनर्वास योजनाओं के माध्यम से उनकी सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना-काल में गैस पीड़ितों की स्क्रीनिंग के लिए विशेष फीवर क्लीनिक संचालित किये जा रहे हैं। गैस राहत चिकित्सालयों में उनकी स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

सरकार ने ''जान है तो जहान है'' के भाव को लेकर कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये हैं। साथ ही आजीविका और अर्थ-व्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से ''जान भी रहे और जहान भी'' के भाव को साकार करने का प्रयास किया। पहली और सबसे बड़ी चुनौती प्रवासी श्रमिकों के आवागमन का प्रबंधन थी।

हमारी सोच थी कि-हम सब भारत-माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? हमारी भावना थी-अतिथि देवो भवः। इस दौरान लगभग 15 लाख श्रमिक परिवार प्रदेश में लौटे और लगभग 5 लाख श्रमिक प्रदेश से गुजरकर अपने राज्यों में गए। हमारा संकल्प था कि मध्यप्रदेश की धरती पर कोई श्रमिक भूखा नहीं सोयेगा और कोई पैदल नहीं चलेगा। सरकार और समाज ने मिलकर इस संकल्प को पूरा किया।

राज्य सरकार प्रत्येक श्रमिक को रोजगार दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए बड़ा रोजगार कार्यक्रम "श्रम सिद्धि अभियान" प्रारंभ किया गया, जिसके अन्तर्गत लगभग 61 लाख श्रमिकों का नियोजन हुआ है। कोरोना संक्रमण काल में प्रवासी मजदूरों को उनके निवास स्थान के समीप रोजगार देने के उद्देश्य से घर-घर सर्वे कर 14 लाख से अधिक श्रमिकों के जॉब कार्ड बनाए गए तथा पुराने जॉब कार्डों को नवीनीकृत किया गया है। अब तक 2400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मजदूरी के रूप में श्रमिकों के खातों में अंतरित की जा चुकी है।

मनरेगा अंतर्गत सरकार द्वारा अपने पूर्व निर्धारित लेबर बजट 20 करोड़ 50 लाख मानव दिवस में 66 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 34 करोड़ से अधिक मानव दिवस अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। विगत चार माह में 12 करोड़ मानव दिवस से अधिक की उपलब्धि अर्जित की जा चुकी है।

कुशल श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक मंच पर लाकर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिये रोजगार सेतु पोर्टल प्रारंभ किया गया। पोर्टल के माध्यम से अब तक लगभग 39 हजार प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार प्राप्त हुआ है।

प्रदेश के चयनित 24 जिलों में भारत सरकार के गरीब कल्याण रोजगार अभियान का क्रियान्वयन किया गया है, जिसके माध्यम से जरूरतमंद प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है।

रोजगार के साथ स्व-रोजगार भी राज्य को आत्म-निर्भर बनाने के संकल्प के केन्द्र में रहा है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्म-निर्भर निधि के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 35 प्रकार के छोटे व्यवसायी, ठेला चलाने वाले भाई तथा पथ-विक्रेताओं को कार्यशील पूँजी देने का महाअभियान प्रारंभ किया है। योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश, देश में कुल स्वीकृत प्रकरणों में से 47 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों की स्वीकृति के साथ शीर्ष पर है।

पथ-विक्रेताओं को ऋण पर 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज की राशि का भार मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब तक 8 लाख 70 हजार से अधिक पथ-विक्रेताओं द्वारा पंजीयन कराया गया है। ग्रामीण पथ-विक्रेताओं को बिना ब्याज 10 हजार रुपये की कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने के लिए एक नई पहल मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के रूप में प्रारंभ की गयी है। इसके अंतर्गत कामगार सेतु पोर्टल पर अब तक लगभग 8 लाख 50 हजार पंजीयन हो चुके हैं। हम सभी पात्र पथ-विक्रेताओं को उनके व्यवसाय के लिए कार्यशील पूँजी दिलायेंगे।

मध्यप्रदेश, देश का ऐसा कल्याणकारी राज्य है, जहाँ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को संबल योजना के माध्यम से जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा कवच दिया गया है। विगत चार माह में योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत लगभग 25 हजार से अधिक हितग्राहियों को लगभग 268 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित पैकेज का पूरा लाभ राज्य के पात्र हितग्राहियों को मिले। गाँव और गरीब का कल्याण प्रदेश के समावेशी विकास की अवधारणा का केन्द्र बिन्दु है।

राज्य सरकार वन नेशन-वन राशन कार्ड की महत्वाकांक्षी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत सभी उचित मूल्य की दुकानों का ऑटोमेशन एवं सभी पात्र हितग्राहियों एवं परिवारों के डेटाबेस में आधार नंबर की सीडिंग का कार्य द्रुत गति से किये जाने का लक्ष्य है ताकि आत्म-निर्भर भारत योजना के अंतर्गत राज्य को विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त उधार प्राप्त हो सके। प्रदेश के ऐसे 24 श्रेणियों के पात्र लगभग 37 लाख हितग्राही, जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्रता पर्ची नहीं है, उन्हें भी 31 अगस्त, 2020 तक पात्रता पर्ची जारी कर नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदाय किया जाने का महाभियान प्रारंभ किया गया है। गरीब की थाली कभी खाली न रहे, राज्य सरकार इस बात के लिए कृत संकल्पित है।

मध्यप्रदेश की अर्थ-व्यवस्था कृषि प्रधान है। लॉकडाउन के होते हुए सरकार ने 15 अप्रैल से गेहूँ उपार्जन का कार्य प्रारंभ किया, जो एक बड़ी चुनौती था। किसान भाइयों के सहयोग से उपार्जन में हम देश में नंबर एक बन गए हैं। पंजाब को पीछे छोड़ते हुए 1 करोड़ 29 लाख 42 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ लगभग 15 लाख 81 हजार किसानों से उपार्जित किया गया। किसानों को 24 हजार 800 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी समय पर किया गया।

इसी प्रकार चने की प्रति एकड़ क्रय मात्रा 15 क्विन्टल से बढ़ाकर 20 क्विन्टल और सरसों की प्रति एकड़ क्रय मात्रा 13 क्विन्टल से बढ़ाकर 20 क्विन्टल करते हुए किसानों को उपार्जन में लाभ दिलाया गया है।

किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध कराने की योजना सतत जारी रखी गई है। हमारी सरकार ने वर्ष 2018-19 की फसल बीमा की प्रीमियम राशि 2200 करोड़ रुपये का भुगतान बीमा कंपनियों को किया, जिससे 16 लाख किसानों को फसल हानि के 3100 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वर्ष 2019-20 के प्रीमियम का भी भुगतान किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप किसानों को 4 हजार करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अगस्त, 2020 से प्रारंभ हो रहे चार माहों के लिए लगभग 75 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान भी किया गया है।

किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मण्डी अधिनियम में संशोधन किए गए। एक ही लायसेंस से व्यापार करने, निजी क्षेत्र में मण्डियों की स्थापना एवं कृषि उपज को किसान के द्वार से सीधे खरीदने की सुविधा दी गई है।

प्रदेश सरकार खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने कृत संकल्पित है। देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएँ तैयार करने के लिए घोषित 01 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री कृषि अधोसंरचना निधि के अंतर्गत मध्यप्रदेश को मिलने वाली लगभग 7500 करोड़ रुपये की सम्भावित सहायता से प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में रणनीति तैयार कर सार्थक प्रयास किये जायेंगे। प्रदेश में कृषि अधोसंरचना निधि के माध्यम से वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, साईलो, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट, ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म एवं सप्लाई चैन अधोसंरचना का निर्माण किया जाएगा। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश अभियान के अंतर्गत अगले तीन वर्ष में प्रदेश में 1000 नवीन कृषक उत्पादक संगठनों का सृजन कर इन्हें पूँजी अनुदान, क्रेडिट गारंटी और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

माँ नर्मदा मध्यप्रदेश की जीवन-दायिनी है। मध्यप्रदेश को आवंटित 18.25 एम.ए.एफ. नर्मदा जल का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए रणनीति पर काम चल रहा है। नर्मदा कछार में 2.85 मिलियन एकड़ फिट अतिरिक्त जल भण्डारण के लिये 13 हजार 544 करोड़ रुपये लागत की 8 नवीन परियोजनाओं की स्वीकृतियाँ प्रदान की गई हैं। राज्य शासन द्वारा साँवेर परियोजना सहित अनेक सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

इन सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता विकसित होगी। मध्यप्रदेश के 5 जिलों में लगभग 1700 करोड़ रुपये की लागत से भू-जल स्त्रोतों से लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश अभियान अंतर्गत उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएँ हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, ऑपरेशन ग्रीन योजना, हर्बल खेती संवर्धन, मधुमक्खी पालन एवं फसलोत्तर प्रबंधन परियोजनाएँ जैसे-प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर और राइपिंग चैम्बर आदि के लिए ऋण सहायता प्रदान की जा रही है।

मछली पालन के क्षेत्र में आत्म-निर्भर अभियान के तहत मछुआरों की आय दोगुना करने का लक्ष्य है। किसानों के समान मछुआरों को भी शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाये जा रहे हैं। मछुआरों को निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना का लाभ भी दिया जा रहा है।

आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में पशुधन विकास के लिए राज्य सरकार दुग्ध संघों को सुदृढ़ बनायेगी। 2 लाख 68 हजार दुग्ध सहकारी समितियों से संबद्ध दुग्ध उत्पादकों एवं अन्य किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जा रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों के लिए कम ब्याज पर ऋण दिलाने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष 1300 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर प्रदान किए जाने का लक्ष्य है। ये पिछले वर्ष से चार गुना होगा। छात्र-छात्राओं को गणवेश स्व-सहायता समूहों के माध्यम से प्रदाय किए जाएँगे। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश की कल्पना को साकार करते हुए कोविड-19 आपदा के दौरान प्रदेश के 20 हजार से अधिक स्व-सहायता समूह सदस्यों द्वारा 1 करोड़ 12 लाख से अधिक मास्क, 1 लाख 12 हजार से अधिक पी.पी.ई. किट्स, 96 हजार लीटर सेनिटाइजर तथा 2 लाख से अधिक साबुन बनाकर विक्रय किए गए। ''जीवन-शक्ति'' योजना के अंतर्गत पंजीकृत 10 हजार से ज्यादा शहरी महिला उद्यमियों को 10 लाख से अधिक मास्क बनाने के कार्यादेश जारी किये गये।

प्रधानमंत्री मातृ-वंदना योजना के 5 लाख 9 हजार से अधिक हितग्राहियों के बैंक खातों में 84 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है। कोरोना काम में लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 78 हजार से अधिक प्रकरणों में ई-सर्टिफिकेट जारी किये गये हैं।

हमारा संकल्प है कि हमारे प्रत्येक आदिवासी भाई-बहन को उनके हक़ की जमीन मिले। इसके लिए हर पात्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को वनाधिकार पट्टे प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में निरस्त किये गये दावों का पुनः परीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति पट्टे से वंचित न रहे। इन्हें साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के हमारे भाइयों और बहनों को नियमों के विपरीत जो ऋण 15 अगस्त, 2020 तक दिए गए हैं, उन सभी ऋणों को अब नहीं चुकाना होगा।

प्रदेश के आदिवासी भाई-बहनों द्वारा संग्रहीत की जाने वाली विभिन्न लघु वनोपज जैसे-हर्रा, बहेड़ा, सालबीज, महुआ, अचार गुठली, नागरमोथा आदि के मूल्यों में वृद्धि की जाकर उनका उपार्जन किया गया है। तेंदूपत्ता संग्रहण के पारिश्रमिक के साथ-साथ गत वर्ष के बोनस की राशि कुल 580 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियों-सहरिया, बैगा एवं भारिया जनजाति की 2 लाख 22 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में लगभग 80 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गयी है। इसे निरन्तर जारी रखा जायेगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा विमुक्त-घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जातियों के विकास के लिये सरकार प्रतिबद्ध है। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किये जाने के संबंध में सरकार पूरी मजबूती के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख रही है।

चालू वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा विमुक्त-घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जातियों के 55 लाख 73 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को 513 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति के बालक-बालिकाओं को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रदेश में ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर भाई-बहनों के कल्याण के लिये भी विभिन्न योजनाएँ संचालित की गई हैं। सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों को पात्रतानुसार विभिन्न छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं। राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लागू आरक्षण सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

विगत पाँच माह की अवधि में विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में 47 लाख 54 हजार से अधिक हितग्राहियों के खातों में लगभग 14 सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा करायी गयी है। इससे कोविड संकट के दौरान दिव्यांगों, निराश्रितों, वरिष्ठ नागरिकों, कल्याणी बहनों आदि को समय पर सहायता प्राप्त हो सकी है।

कोरोना संकट में गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़े विपरीत प्रभाव के मद्देनजर बिजली के बिलों में भी बड़ी राहत दी गई है। 100 रुपये तक बिल आने पर 50 रुपये, 100 रुपये से 400 रुपये तक बिल आने पर 100 रुपये तथा 400 रुपये से अधिक बिल आने पर पहले आधी राशि जमा करने का प्रावधान किया गया। उद्योगों को भी बिजली बिलों में इन प्रयासों के द्वारा लगभग एक हजार करोड़ रुपये की राहत दी गई है।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी चार वर्षों में 1 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन लगाने के लक्ष्य को वर्ष 2023 तक पूरा करने के लिये मिशन मोड पर कार्य शुरू किया गया है।

इस वर्ष के लिए सरकार द्वारा मिशन के अन्तर्गत 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं ताकि वर्ष के अंत तक ग्रामीण क्षेत्र के 26 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

स्वच्छता सर्वेक्षण-2019 में भोपाल को देश की स्वच्छतम राजधानी घोषित किया गया है। इन्दौर लगातार तीन वर्षों से देश में नम्बर एक स्वच्छ शहर बना हुआ है। भोपाल और इन्दौर में मेट्रो रेल परियोजना का कार्य जारी है। दीनदयाल रसोई योजना को विस्तारित कर राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं पवित्र नगरों में सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। आगामी तीन वर्षों में नगरीय क्षेत्रों में सभी नागरिक सुविधाएँ ऑनलाइन उपलब्ध करायी जाने का लक्ष्य है।

कोरोना संकट काल में विद्यार्थियों की शैक्षिक निरंतरता को बनाये रखने के लिये ''हमारा घर-हमारा विद्यालय'' योजना लागू की गयी है, ताकि विद्यार्थी घर पर ही अध्ययन कर सकें। राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए जाने की योजना को पुनः प्रारंभ कर दिया है।

प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माण्डू में एस्ट्रो पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सौरमंडल, तारामंडल आदि के विषय में ज्ञानवर्धक जानकारी सुरुचिपूर्ण तरीके से प्रदान की जायेगी। यह स्कूली बच्चों को किताबों में पढ़े हुए खगोल-विज्ञान की रोमांचक अनुभूति के साथ-साथ स्थानीय व्यक्तियों के लिए रोजगार प्राप्त करने में भी सहायक होगा।

प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से 200 महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास तथा 50 भवन-विहीन महाविद्यालयों में भवन निर्माण का कार्य लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है।

गत दिनों माननीय प्रधानमंत्रीजी ने रीवा में 750 मेगावॉट की अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का लोकार्पण किया। यह विश्व की सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली बड़ी इकाइयों में से एक है। प्रदेश विद्युत के मामले में आत्म-निर्भर बना रहेगा।

राज्य सरकार ओंकारेश्वर में 3000 करोड़ रुपये की लागत से 600 मेगावॉट का विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट तैयार करेगी। इस सोलर प्लांट के निर्माण के फलस्वरूप सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश विश्व के नक्शे पर बड़े नवकरणीय ऊर्जा उत्पादक क्षेत्रों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा।

इसी प्रकार प्रदेश के मुरैना, छतरपुर, आगर, शाजापुर एवं नीमच जिलों में भी लगभग 4400 मेगावॉट के सोलर पॉवर प्लांट स्थापित किये जायेंगे।

चंबल क्षेत्र से सर्वांगीण विकास के लिये चंबल प्रोग्रेस-वे को फास्ट-ट्रेक मोड में विकसित किया जायेगा। लगभग 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला 309 किलोमीटर लंबाई का चंबल प्रोग्रेस-वे श्योपुर, मुरैना एवं भिण्ड से होते हुए राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश की सीमाओं को जोड़ेगा। यह मार्ग भिण्ड में गोल्डन क्वाड्रिलेट्रल (आगरा-कानपुर) मार्ग, मुरैना में नार्थ साउथ कॉरीडोर एवं राजस्थान में दिल्ली-मुंबई कॉरीडोर से जोड़ा जायेगा। इस प्रगति के महामार्ग के निर्माण से इस क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, कृषि और आर्थिक विकास के क्षेत्र में संभावनाओं के नये द्वार खुल जाएँगे।

अमरकंटक से होकर अलीराजपुर के रास्ते गुजरात को जाने वाले लगभग 1300 किलोमीटर लंबाई के नर्मदा एक्सप्रेस-वे से जुड़े चिन्हित क्षेत्रों से नया निवेश लाया जाएगा। विकास की इस पहल के माध्यम से नर्मदांचल में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही क्षेत्र में धार्मिक एवं ईको-पर्यटन जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

रेडीमेड गारमेंट क्षेत्र के उद्योगों में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होता है। प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट क्षेत्र में पूँजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये उद्योग संवर्धन नीति में बदलाव किया गया है। अब यंत्र, संयंत्र एवं भवन में 25 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश करने वाली गारमेंट निर्माण इकाइयों को भी मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई माना जाएगा।

आत्म-निर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत पात्र उद्योगों को कार्यशील पूँजी ऋण की स्वीकृति, तनावग्रस्त एमएसएमई को पुनर्जीवित करने के लिए सबोर्डिनेट ऋण की व्यवस्था, मुद्रा योजना अन्तर्गत शिशु श्रेणी के ऋणों के लिये ब्याज अनुदान और इक्विटी में निवेश आदि सम्मिलित हैं। सरकार प्रदेश के सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यमों को आत्म-निर्भर पैकेज का पूरा लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रदेश में नए उद्योगों की सरल स्थापना के लिए ''स्टार्ट योर बिजनेस इन थर्टी डेज'' प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाया जायेगा।

भारत सरकार की फार्मा पार्क योजना के अन्तर्गत प्रदेश में फार्मा पार्क विकसित किया जायेगा।

प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों में उल्लेखनीय बदलाव कर उद्योगों और स्थापनाओं को लगाने की प्रक्रिया को सरल किया गया है ताकि रोजगार के नये अवसर पैदा हो सकें। श्रम सुधारों में श्रमिकों के हितों एवं उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित मापदण्डों का पूरा ध्यान रखा गया है।

आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण हेतु प्रदेश में अगले तीन वर्षों में कुटीर एवं ग्रामोद्योगों का जाल बिछाया जाएगा। हथकरघा, हस्तशिल्प तथा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से संबंधित इकाइयों को मृगनयनी एवं विंध्या वैली ब्राण्ड से जोड़ने हेतु विशेष रणनीति तैयार की गई है, जिससे इन इकाइयों को मार्केटिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

राज्य सरकार द्वारा तत्कालीन 31 मुख्य खनिजों को गौण खनिज में सम्मिलित किया गया है। इसके लिये नवीन गौण खनिज नीति बनाई जायेगी। बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाये खनिज संपदा के आधुनिक पद्धति से दोहन एवं मूल्य संवर्द्धन की रणनीति पर कार्य किया जायेगा।

युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिये भोपाल में कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत ग्लोबल स्किल्स पार्क और 10 संभागीय आईटीआई के उन्नयन एवं नव-निर्माण का कार्य प्रगति पर है। जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सागर, भोपाल, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल, ग्वालियर तथा भिण्ड की आईटीआई को उत्कृष्ट संस्थाओं के रूप में विकसित किया जा रहा है। उद्योगों में युवाओं को एपरेंटिस के रूप में प्रशिक्षण दिये जाने की पहल भी शीघ्र शुरू होगी।

हमें प्रदेश में इस प्रकार का वातावरण तैयार करना है, जिससे राज्य के युवा न केवल रोजगार पाने वाले हों बल्कि दूसरों को रोजगार देने वाले भी बनें। इसके लिये प्रदेश के विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जायेगी।

प्रदेश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट अमरकंटक सर्किट, रामायण सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, नर्मदा परिक्रमा आदि और अनुभव आधारित पर्यटन जैसे—डायमण्ड टूर, साड़ी मेकिंग टूर को बढ़ावा दिया जाएगा। चित्रकूट से लेकर अमरकंटक तक राम वन गमन पथ का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया जायेगा।

राष्ट्रीय उद्योनों के बफर क्षेत्र में ''बफर में सफर'' योजना प्रारंभ की जायेगी जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय उद्यानों के बफर क्षेत्र में युवाओं का पर्यटन एवं अन्य क्षेत्र में कौशल विकास किया जायेगा।

मध्यप्रदेश में नागरिकों का सिंगल सिटीजन डेटाबेस तैयार किया जायेगा। इसके बन जाने से नागरिकों को अलग-अलग योजनाओं अथवा कार्यों के लिए बार-बार जानकारी देने अथवा पृथक्-पृथक् पोर्टल पर पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। सिंगल सिटीजन डेटाबेस प्रदेश में लोक सेवाओं के प्रदाय में दक्षता के एक नये युग की शुरुआत होगी।

जब कोरोना के कारण बाहर नहीं जा पा रहे हों तो क्यों न अपने स्वयं के अंदर जाएँ! स्वयं के जीवन के भीतर उतरें। इस उद्देश्य को लेकर राज्य आनंद संस्थान द्वारा कोरोना के इस संकट काल के दौरान नागरिकों में फैले भय और अवसाद को दूर करने के लिये ऑनलाइन अल्प-विराम कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं और 20 हजार से अधिक लोग इस अभिनव पहल से लाभान्वित हुए हैं।

आजादी के बाद पहली बार हमारी सरकार ने ग्रामीण आबादी क्षेत्र के भू-अभिलेख बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। इसके माध्यम से ग्रामीण जनता को उनके आवासीय भू-खण्ड पर मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा।

प्रदेश में शांति और कानून-व्यवस्था बनी रहे, अपराधियों के मन में डर हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। ड्रग्स का धंधा करने वाले, चिटफण्ड कम्पनियों, खाद और राशन की कालाबाजारी करने वालों, मिलावटखोरों, अवैध शराब बनाने और बेचने वाले माफिया, भू-माफिया, संपत्ति हड़पने वाले सहकारी माफिया, अतिक्रमणकारी, अवैध उत्खननकर्ता और आदतन अपराधियों आदि के विरुद्ध तत्परता से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है। महिलाओं और बेटियों के विरुद्ध अपराध करने वालों के विरुद्ध जीरो टालरेन्स की नीति अपनायी गयी है। अपराध करने वाले पूरी मानवता के दुश्मन हैं और उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित व्यक्ति को एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने नहीं आना पड़े, इसके लिये सरकार ने ''एफआईआर-आपके द्वार'' योजना का प्रयोग भी प्रारंभ किया है।

प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड संकट के दौरान कुछ असुविधाएँ हुई हैं, किन्तु ये अस्थाई हैं और स्थितियाँ सामान्य होने पर कर्मचारियों को देय सभी लाभ उन्हें प्राप्त होंगे।

लॉकडाउन के पश्चात् चरणबद्ध रूप से आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत एवं गरीबों के कल्याण के पैकेज और लोकल को वोकल बनाने के संकल्प के साथ आत्म-निर्भर भारत का उदय हो रहा है। आत्म-निर्भर भारत के अंतर्गत घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज से संभावनाओं के असंख्य द्वार खुले हैं। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में राज्य के प्राकृतिक, आर्थिक, मानव और भौतिक संसाधनों का उपयोग कर कॉम्पिटीटिव (प्रतियोगी), सस्टेनेबल (संवहनीय) और रैजीलियंट (नमनीय) विकास हमारा लक्ष्य होगा।

हमने हमेशा प्रदेश के विकास की योजनाएँ जनता से पूछकर, जनता से सलाह लेकर बनायी हैं। प्रदेश के नव-निर्माण के लिए सुझाव आमंत्रित करने, उनके संकलन, परीक्षण और क्रियान्वयन के उद्देश्य से मध्यप्रदेश इनोवेशेन चैलेंज पोर्टल प्रारंभ किया गया है। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में आगामी तीन वर्षों

की सुविचारित योजना तैयार करने के लिये नीति आयोग, जनप्रतिनिधिगण, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विषय-विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया गया है। यह रोडमैप भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा अर्थ-व्यवस्था एवं रोजगार के मूल स्तंभों पर आधारित रहेगा। मैं प्रदेश के नागरिकों से आव्हान करता हूँ कि वे आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिये अपने बहुमूल्य सुझाव सरकार के पोर्टल mp.mygov.in पर दे सकते हैं। आगामी तीन वर्षों के रोडमैप से समृद्ध, समावेशी और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।

कोविड-काल में माननीय प्रधानमंत्रीजी के कुशल नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने हौसले के साथ फैसले लेकर जनशक्ति को राष्ट्रशक्ति में और जन-अपेक्षाओं को जन-कल्याण में परिवर्तित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। जनता के सहयोग और समर्थन से संक्रमण को मात देने के संकल्प के साथ आज मध्यप्रदेश भी चुनौतियों को अवसर में, संकट को समाधान में और मुश्किल को मुमकिन में बदल रहा है। कोविड संकट ने हमें यह सीख दी है कि समय के साथ चलना और परिस्थितियों के मुताबिक स्वयं को ढालने की क्षमता रखना ही सफलता का मूल मंत्र है। हम एक नया मध्यप्रदेश गढ़ रहे हैं-आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश, आत्म-विश्वासी मध्यप्रदेश और अनुशासित मध्यप्रदेश।

कोशिश कर, हल निकलेगा।
आज नहीं तो कल निकलेगा।

अर्जुन के तीर-सा सध,
मरुस्थल से भी जल निकलेगा।

मेहनत कर, पौधों को पानी दे।
बंजर जमीन से भी फल निकलेगा।

ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे,
फौलाद का भी बल निकलेगा।
जिन्दा रख, दिल में उम्मीदों को,
गरल से भी गंगाजल निकलेगा।

कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की
जो है आज थमा-थमा सा, चल निकलेगा।

हमारा इतिहास गर्व करने वाला, हमारा वर्तमान उत्साह भरने वाला और हमारा भविष्य आशान्वित करने वाला है। तो आइए, हम सब मिलकर राष्ट्रीय-पर्व से राष्ट्रीय-चरित्र के निर्माण की, राष्ट्र-भक्ति से राष्ट्र-धर्म के सृजन की और राष्ट्र-सेवा से राष्ट्र-हित के चिंतन की आधारशिला रखें। यही भारत के हृदय-प्रदेश की स्वातंत्र्य-वीरों और समूचे जन-गण-मन के प्रति सच्ची आदरांजलि होगी।

मैं सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की पुनः शुभकामनाएँ देता हूँ और अपील करता हूँ कि आप सभी सजग रहें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें।

जय हिन्द। जय मध्यप्रदेश।

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल—2020